राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः लेखा–13 / रा.स्त.ऑ. / 2023 / दिनांकः

समस्त संयुक्त निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
जोन.................

विषयः–निदेशालय मे आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 14.09.2023 मे उपस्थिति होने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत पत्र के कम में आपके एवं आपके अधीनस्थ कार्यालयों के महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों, चोरी / गबन, ओ.बी. आईटम, बकाया जनलेखा समिति के प्रतिवेदन / आक्षेपों / सिफारिशों, निरीक्षण विभाग के विशेष जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों, आन्तरिक जांच प्रतिवेदनों के बकाया आक्षेपों एवं भौतिक सत्यापन प्रतिवेदनों की बकाया आक्षेपों की अनुपालना / प्रथम अनुपालना अत्यधिक मात्रा में बकाया होने को पूर्व में आयोजित राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक दिनांक 21.06.2023 में अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया द्वारा बहुत ही गंभीरता से लिया गया है।

उक्त समस्त प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही / अनुपालना की समीक्षा हेतु दिनांक 14.09.2023 को मध्यान्ह पूर्व 11:30 बजे अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदया की अध्यक्षता में आरएचएसडीपी, मीटिंग–हॉल, एन.एच.एम में राज्य स्तरीय ऑडिट कमेटी की बैठक आयोजित की जा रही है। समस्त संयुक्त निदेशक उक्त प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में अब तक की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण, कियान्विति एवं प्रकरणों की वर्तमान स्थिति तथा भावी रूप रेखा की सूचना से दिनांक 12.09.2023 तक वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय को अवगत कराने श्रम करावें, साथ ही दिनांक 14.09.2023 को आवश्यक रूप से बैठक में उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः लेखा–13 / रा.स्त.ऑ. / 2023 / 5293 दिनांकः 11/09/23

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चि0 एवं स्वा0 विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक (अराजपत्रित) / अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) / अतिरिक्त निदेशक (चि0प्रशा0) व संयुक्त निदेशक (योजना), चि0 एवं स्वा0 सेवाएं, राज0 जयपुर को जनलेखा समिति / चोरी–गबन / तथ्यात्मक विवरण से सम्बन्धित प्रकरणों की नवीनतम अनुपालना सहित उपस्थित होने का श्रम करे।
3. प्रभारी सर्वर को प्रेषित कर लेख है कि इस पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ करे।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राजस्थान जयपुर